

**कार्यालय,
प्रविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)**

संख्या: प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखाना: दिनांक: 03/08/2021

-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय और दूरस्थ, नई दिल्ली द्वारा सूचित कि 2021-22 हेतु विद्यमान भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने में प्रतीक श्रमार्थ मुद्री सहित अन्य मर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार ये निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्चतम अखिल प्रवेश द्वारा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम :- 2745-G.S.R.M. MEMORIAL COLLEGE OF PHARMACY, KANPUR ROAD - LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021- द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021- द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ए०प्र० 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्टी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के स्वतंत्र में समय-समय पर वासल द्वारा निर्गत किये जाने वाले शारदादेशक प्रणवीं इन्ते, और मनुनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिस विनियम समिति द्वारा धरि सत्र 2021-22 हेतु कोस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को, उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाना, विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं शिष्टाचार, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों

प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद

दस्तावेज संख्या 2022/7817

संस्था - प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक दिनांक 30/06/2022

कार्यवाही का:-

अभिज्ञ भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय में आयोजित जूनियर स्टाफ इन्फोर्मेशन बैठक के द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2022-23 हेतु विभिन्न तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2022-23 संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक 30/06/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदन गये संस्थानों की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य संशोधन पर विचार करने हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिष्ट गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2022-23 हेतु संलग्नक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसके अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2745-G.S.R.M. MEMORIAL COLLEGE OF PHARMACY


क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियमावली 2016 तथा समस्त-समय पर निर्गत शासन-देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सैन वर्षीय वृद्धि पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-देश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किए जाने आवश्यक होगा। कोस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु कोस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कोस की नवीन-रूप दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिए जायेंगे।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्गत शासन-देश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासन-देशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त

उत्तरदायित्व संस्था का होना और विभिन्न स्तर से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्राथमिक परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशकालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाये तो संस्था को संभव है या, व्यापारिक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संस्था अदालत निर्गत किया जाये है तो संस्था प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्था को को संयुक्त प्रदेश प्राथमिक परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेषण हेतु आवेदनित साठमिनट प्रारंभ होने के पूर्व 15:00:00/15:00:00/15:00:00/15:00:00 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपस्थित करना होगा। अन्यथा उन्हें प्रेषण की जाउगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषण हेतु संस्था-स्तर पर निर्गत नवीनतम अद्यतन निर्णयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की दैनिक/सप्ताहिक पूर्ण भूमि, रातक, सातक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातावरण उपलब्ध करने के साथ ही साथ संस्था के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित पाठ्यक्रम को कराते जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अनिलेश भूमि-भवन फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संयोजन में प्रयोग किया जाये है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित समाप्त किये जाने की कार्यवाही करनी होगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक संयोजन निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, फर्निचर, उपकरण एवं अन्य सातक-सम्बा 15:00:00/15:00:00/15:00:00/15:00:00/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बन्धित समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(एफ0आर0 खान)


सचिव

पृ0सं0- प्राथमिक/परिषद सम्बन्धित/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, G.S.R.M. MEMORIAL COLLEGE OF PHARMACY


(एफ0आर0 खान)

सचिव